

09-10

रांची सभाहरणालय,रांची
(विकास शाखा)
सामान्य मद

माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक/पार्षद द्वारा अनुश्रुति निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची द्वारा प्रदान की गई है।माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुश्रुति एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपआयुक्त,रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. जना के लिए यदि सरकारी गृह उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पास में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अंचलाधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है।स्पष्ट ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्रावकलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र0शि0पदा0/अं0पदा0/ कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची /उप विकास आयुक्त,रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्वगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित स्वीकृत (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	छोटी मेन रोड से महारा टोली में 800 फीट में पी0सी0सी0 पथ नि०	4.00	4.00	4.00
2.	कडरु कुम्हार टोली नदी के बगल में शौचालय निर्माण	2.00	2.00	2.00
3.	कडरु मेन रोड से मदरसा तक 500 फीट पी0सी0सी0 पथ निर्माण	3.25	3.25	3.25
4.	हेसाग मुस्लिम मुहल्ला में सामुदायिक भवन नि०	7.00	7.00	7.00
5.	पंडरा में विजय पथ से राम विलास के घर से प्रजापति वकील के घर तक 500 फीट पी0सी0सी0 पथ नि०	3.25	3.25	3.25
6.	पंडरा अम्बा नगर में किराना दुकान से ललन सिंह के मकान तक 650 फीट पी0सी0सी0 पथ नि०	4.225	4.225	4.225
7.	पंडरा राधानगर में अमीर घर के पास से मनोज वर्मा के घर तक 500 फीट पी0सी0सी0 पथ नि०	3.25	3.25	3.025
8.	देवी मंडप रोड में अशोक कुमार गुप्ता के घर से राजकुमार वर्मा के घर तक 500 फीट पी0सी0सी0 पथ नि०	3.25	3.25	3.25
9.	देवी मंडप रोड में मंदिर के पीछे अपिल साहू के घर से मास्टर साहब के घर तक 65 फीट पी0सी0सी0 पथ नि०	4.225	4.225	4.225
10.	मधुकम हेमन्त तिकी के घर के पास से तालाब तक 180 फीट पी0सी0सी0 पथ नि०	1.25	1.25	1.25
11.	सर्वेश्वरी नगर पाहन टोली सरहुल पूजा स्थल के पास सामुदायिक भवन का नि०	7.00	7.00	7.00
12.	खरसी टोली से जगमोहन भगत के घर से जीरा उरॉय के घर तक 500 फीट पी0सी0सी0 पथ नि०	3.25	3.25	3.25
13.	सर्वेश्वरी नगर हृदय नारायण मिश्रा के घर के पीछे से पंकज मिश्रा के घर तक 550 फीट पी0सी0सी0 पथ नि०	3.60	3.60	3.60
14.	श्रीराम नगर बसंत कुमार स्वरशी के घर से दिनेश चन्द्र मिश्रा के घर तक 200 फीट पी0सी0सी0 पथ नि०	1.75	1.75	1.75
15.	विद्यानगर राजना रामायण यादव के घर से मंदिर होते हुये शंकर यादव के घर तक 300 फीट पी0सी0सी0 पथ नि०	3.00	3.00	3.00

ok

	के घर तक 450 फीट पीओसीपी पथ नि०			
16.	नयासराय मस्जिद मुहल्ला में 500 फीट पीओसीपी पथ नि०	3.25	3.25	3.25
17.	विद्यानगर में विनोद मास्टर के घर से शिन्देश्वरी प्रसाद के घर तक 450 फीट पीओसीपी पथ निर्माण	3.00	3.00	3.00
18.	न्यू शास्त्री नगर मधुकम में छोटानागपुर कनेक्ट स्कूल पथ में 1000 फीट पीओसीपी पथ नि०	6.50	6.50	6.50
19.	हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एच० आई० 240 से एच०आई० 280 तक 1000फीट पीओसीपी पथ नि०	6.50	6.50	6.50
20.	मनीटोला पोखर टोली पुल के पास सामुदायिक भवन का नि०	7.00	7.00	7.00
21.	डोरण्डा पारस ओली इंदगाह मैदान के पास सामुदायिक भवन का नि०	7.00	7.00	7.00
22.	जगरनाथपुर मेन रोड से विरेन्द्र सिंह के पान दुकान तक 1000 फीट में पी.सी.पी. पथ नि०	6.50	6.50	6.50
23.	सेक्टर-2 धुवां गायत्री मंदिर के पास सामुदायिक भवन का नि०	7.00	7.00	7.00
24.	दयानन्द अपार्टमेंट से मेन नाला तक 400 फीट में पीओसीपी पथ निर्माण (सेन्ट्रल अशोक कुंज अशोक नगर रोड नं० 3 के सामने)	2.60	2.60	2.60
25.	हटिया महावीर चौक धर्मेन्द्र गिरि के घर से श्याम चौधरी के घर तक 300 फीट में पीओसीपी पथ नि०	2.00	2.00	2.00
26.	गौरीशंकर नगर नई बस्ती में नौ दुर्गा अपार्टमेंट के पास पुलिस नि०	6.00	6.00	6.00

कुल:-

111.85

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-111.85 (कुल एक करोड़ ग्यारह लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र)
विमुक्त राशि:-111.85 (कुल एक करोड़ ग्यारह लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र)

नोट:- 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर
पूर्णता-रह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

ज्ञापक-152/03/ संघी दिनांक-03/03/10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक / कार्यपालक अभियंता,
एन०आर०ई०पी०-II, राँची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नापीर, विकास शाखा, राँची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

[Signature]
उप विकास आयुक्त, राँची।

[Signature]
उप विकास आयुक्त, राँची।

रांची समाहरणालय,रांची
(विकास शाखा)
विधायक मद (जल समृद्धि)

माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची द्वारा प्रदान की गई है। (माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त,रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो,योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड-विकास पदाधिकारी/अंचलधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। (साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र0डि0पदा0/अं0प्रवा0/ कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची / उप विकास आयुक्त,रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्र. सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित स्वीकृत (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	डिबडीह में रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान में चापाकल	0.42	0.42	0.42
2.	झोरण्डा मिस्त्री मुहल्ला स्थित मदरसा कैसर हिन्द में शौचालय एवं चापाकल निर्माण	2.42	2.42	2.42
3.	चंदाबासी पंचायत के चरु में डीप बोरिंग	2.00	2.00	2.00
4.	रातू द0 पंचायत के रा0म0वि0 रातू बालिका बड़काटोली में आर0सी0सी0 पुलिय का नि0	1.00	1.00	1.00
5.	खनिज नगर झोरण्डा में खनिज विभाग ऑफिस पूरब में चापाकल	0.42	0.42	0.42
6.	खनिज नगर झोरण्डा में किशोर राम के मकान के पास चापाकल	0.42	0.42	0.42
7.	खनिज नगर झोरण्डा में खनिज विभाग ऑफिस के उत्तर में चापाकल	0.42	0.42	0.42
8.	खनिज नगर झोरण्डा में भगवान यादव के मकान के पास चापाकल	0.42	0.42	0.42
9.	काठीटॉड मठ गोपाल मुण्डा के घर से सानो पाहन के खेत तक दोनो साईड 2000 फीट नाली 18 इंच गहराई एवं 15 इंच चौड़ाई के एवं एक कलर्बट 24 फीट के साथ निर्माण	2.78	2.78	2.78
10.	बटन तालाब झोरण्डा स्थित छठ थट में एक शौचाल स्नानागार एवं चापाकल का निर्माण	2.50	2.50	2.50

कुल:-

12.80

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-12.80 (कुल बारह लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि:-12.80 (कुल बारह लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)


- नोट:- 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

Ect
उप विकास आयुक्त.

झापांक ~~34~~ (४) / रॉधी दिनांक: 03/04/10

प्रतिलिपि- माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक / कार्यपालक अभियंता,
एन0आर0ई0पी0-II, रॉधी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-नाजीर, विकास शाखा, रॉधी को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।


उप विकास आयुक्त, रॉधी।

रांची समाहरणालय,रांची

(विकास शाखा)

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री योजना (सामान्य मद)

माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची द्वारा प्रदान की गई है।माननीय प्रंसद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त,रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

8. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
9. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो,योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
10. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
11. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अंचलाधिकारी जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची की देख रेख में करना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना है।साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राकलन के अनुरूप होनी चाहिए।
12. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
13. स्वीकृत राशि प्रखंड/अंचल/जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची /उप विकास आयुक्त,रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
14. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राकलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	नया सराय मुख्य पथ से सपारोम नया बस्ती तक 400' फीट पीसीसी पथ निर्माण	2.459	2.459	2.459
2.	नया सराय मुख्य पथ से मुड़मा मध्य विद्यालय तक 400' फीट पीसीसी पथ निर्माण	2.459	2.459	2.459
3.	देवरी में कयामुद्दीन अंसारी के घर से युनुस अंसारी के घर तक 350' फीट पीसीसी पथ निर्माण	2.125	2.125	2.125
4.	देवरी में जलालुद्दीन के घर से बालगोविन्द महतो के घर तक 500' फीट पीसीसी पथ निर्माण	3.027	3.027	3.027
5.	नगड़ी में एन.एच.-23 में देवी मंडप नगड़ी तक 500' फीट पीसीसी पथ निर्माण	2.459	2.459	2.459
6.	सत्य नारायण केशरी के घर के पास से नगड़ी हॉस्पिटल तक 50' नाली निर्माण	0.357	0.357	0.357
7.	कटहल मोड़ के पास अधुरे सामुदायिक भवन का निर्माण	3.02	3.02	3.02
8.	नगड़ी पुराना बाजार टूड से कुन्हार टोला तक 175 फीट पीसीसी पथ निर्माण	1.072	1.072	1.072
9.	कोईरी मुहल्ला से रेलवे लाईन चिपरा मार्ग पथ तक लगभग 1 किमी मोरम्मीकरण	1.56	1.56	1.56
10.	नगड़ी में तसर केन्द्र के पीछे से बरसा चौक तक 300 फीट पीसीसी पथ निर्माण	1.828	1.828	1.828
11.	लाल गुटबा में 500 फीट पीसीसी पथ निर्माण	3.027	3.027	3.027
12.	रातू ब्लॉक के पास विध्यवासिनी नगर में 500 फीट पीसीसी पथ निर्माण	3.027	3.027	3.027
13.	रातू एतवार बाजार कॉलोनी में महारानी प्रेस मंजरी हॉस्पिटल से बी०डी० साहब के घर तक 1000 फीट पीसीसी पथ निर्माण	6.05	6.05	6.05

14.	सिमलिया में अयुब के घर से मरघट तक 550 फीट पीपीसीपीसी पथ निर्माण	3.34	3.34	3.34
15.	काटीटांड में उषा के घर से गन्दुर के घर तक 300 फीट पीपीसीपीसी पथ निर्माण	1.828	1.828	1.828
16.	आमटॉड में अशोक के घर बुढ़ा महादेव तक 800 फीट पीपीसीपीसी पथ निर्माण	4.82	4.82	4.82
17.	फुटकलटोली में मोड़न के घर से लयुब के घर तक 500 फीट पीपीसीपीसी पथ निर्माण	3.089	3.089	3.089
18.	सिमलिया में मरघटिया तलाब में रोड का नि०	2.02	1.93	1.93
19.	मखन्द्रो से पुरियो तक 3 किमी मोरम्मीकरण 300 फीट गार्डवाल के साथ	7.97	7.97	7.97
				55.449

कुल:-

प्राशासनिक स्वीकृत राशि:-55.449 (कुल पचपन लाख चौवालीस हजार नौ सौ रुपये मात्र)
विमुक्त राशि:-55.449 (कुल पचपन लाख चौवालीस हजार नौ सौ रुपये मात्र)

नोट:- 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर
पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

ar
उप विकास आयुक्त,
रांची।

ज्ञापक- 302(1) रांची दिनांक 25-3-10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक / जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

Arif
उप विकास आयुक्त,
रांची।

रांची समाहरणालय, रांची

(विकास शाखा)

कार्यालय आदेश

विधायक योजना (जल समृद्धि मद)

माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र०वि०पदा०/अ०पदा०/ कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II रांची पश्चिमी / उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	देवी मंडप रोड तालब साईड में पीछे साफ्टी कानर (श्री कृष्णा जी) से दीपक कुमार सिन्हा के घर तक नाली निर्माण	8.40	8.40	8.40
				8.40

कुल:-

प्राशासनिक स्वीकृत राशि:-8.40 (कुल आठ लाख चालीस हजार रुपये मात्र)
विमुक्त राशि:-8.40 (कुल आठ लाख चालीस हजार रुपये मात्र)

नोट:- 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त,
रांची।

ज्ञापक-277 (iv) रांची दिनांक-22/03/10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक / कार्यपालक अभियंता, एन० आर० ई० पी० -II रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
रांची।

रॉंची समाहरणालय, रॉंची।
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश

माननीय विधायक श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव द्वारा विधायक मद के सामान्य मद की निम्न योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर इस कार्यालय के ज्ञापांक-90 दिनांक-29.01.09 द्वारा योजना का कार्यान्वयन आदेश जिला अभियंता, जिला परिषद रॉंची को दिया गया था। माननीय विधायक के मद में आवंटन उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस योजना की राशि विमुक्त नहीं की गई थी। माननीय विधायक के मद में राशि उपलब्ध हो गई है।

अतः योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि विमुक्त की जा रही है-

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	विमुक्त राशि
1	2	3	4
1.	सुधा डेयरी के पास विवेकानन्द स्कूल तक 1050 फीट ग्रेड-I पथ का निर्माण	3.09	3.09

कुल:-

(कुल विमुक्त राशि तीन लाख नौ हजार रुपये मात्र)

3.09

ज्ञापांक: 196 (1) दिनांक: 8-3-2010

उप विकास आयुक्त, रॉंची।

- प्रतिलिपि:-
- माननीय विधायक श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव को सूचनार्थ को सूचनार्थ प्रेषित।
 - जिला अभियन्ता, जिला परिषद, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 - नाजीर, विकास शाखा, रॉंची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रॉंची।

रांची समाहरणालय, रांची

(विकास शाखा)

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री विकास योजना (सामान्य मद)

माननीय श्री गोपाल कृष्ण पातर, विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा भ्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अंचलाधिकारी जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/नार्ग दर्शन सहायक अभियंता जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र०वि०पदा०/अं०पदा०/ जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची /उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	पूर्व में विमुक्त की गई राशि	वर्तमान में विमुक्त राशि
1.	ग्राम जलिलोहर में सुरेश साहु के घर से शिव शंकर सिंह मुण्डा के घर तक बोल्टर सोलिंग के साथ पी०सी०सी० पथ निर्माण	7.265	7.265	7.265
2.	ग्राम लुपुगडीह में रामचन्द्र अहीर के घर से दयाल अहीर के घर तक बोल्टर सोलिंग के साथ पी०सी०सी० पथ निर्माण	1.509	1.509	1.509
3.	ग्राम डिम्बुजरी में सोमा योगी के घर से बिजू योगी के घर तक बोल्टर सोलिंग के साथ पी०सी०सी० पथ निर्माण	9.776	9.776	9.776
4.	ग्राम डिम्बुडीह में घासी राम महतो के घर से चुनू महतो के घर होते हुए राजेन्द्र महतो के घर तक बोल्टर सोलिंग के साथ पी०सी०सी० पथ निर्माण	10.262	10.262	10.262

कुल:-

28.812

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-28.812 (कुल अठाईस लाख एकासी हजार दो सौ रुपये मात्र)


विमुक्त राशि:-28.812 (कुल अठाईस लाख एकासी हजार दो सौ रुपये मात्र)

नोट:- 1- योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर

पूर्णा-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र सगर्पित करेंगे।


ज्ञापक: 191 (17) / रांची

दिनांक: 5.3.10


 उप विकास आयुक्त, रांची।
 93

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल कृष्ण पातर, विधायक / जिला अभियंता, जिला परिषद, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा, रांची को धेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।


 उप विकास आयुक्त, रांची।
 513

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)
जल समृद्धि मद

माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक/पार्षद द्वारा अनुशस्तित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुमति एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची के देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्रकल्पन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र0वि0पदा0/अ0पदा0/ कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची / उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरों के नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित स्वीकृत (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	देवीमंडप रोड मंदिर के पीछे पार्षद साहू के घर से मास्टर साहब के घर तक 600' नाली नि०	4.00	4.00	4.00
2.	श्री राम नगर बसंत कुमार स्वामी के घर से दिनेश चन्द्र मिश्रा के घर तक 200' नाली निर्माण	1.20	1.20	1.20
3.	देवी मंडप रोड शिव मंदिर बायें समुद्र में 450' में नाली नि०	3.00	3.00	3.00
4.	मधुकम हेमन्त तिकी के घर के पास से तालाब तक 180' में नाली नि०	1.10	1.10	1.10
5.	सपारोम में सरफुल्ल अली के घर के पास कूप निर्माण	1.50	1.50	1.50
6.	न्यू शास्त्री नगर मधुकम छोटागढ़ कनेक्ट स्कूल पथ के बगल में 1000' में नाली नि०	6.00	6.00	6.00
7.	हरमू हाउसिंग कॉलानी एच0आर0 240 से एच0आई0 280 तक 1000' में नाली नि०	6.00	6.00	6.00
				22.80

कुल:-

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:- 22.80 (बाईस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि:- 22.80 (बाईस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)

नोट- 1. योजनाओं का कार्य 3 माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोग प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

क्रमांक- 153/ रांची दिनांक- 03/03/10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक / कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

(Signature)
उप विकास आयुक्त, रांची।

(Signature)
उप विकास आयुक्त
रांची

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)

मुख्यमंत्री विकास योजना (सामान्य मद)

माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक/प्रबन्ध द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सचिव/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास प्रबन्धिका/अंचल प्रबन्धिका कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्रावकलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र०वि०मन्दा०/अ०मन्दा०/ कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची / उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्रावकलित स्वीकृत (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	डिवडीह शांतिपुर में विरेश तिग्गा के घर से अनिता कुजूर के घर तक 850' पी०सी०सी० पथ निर्माण	5.545	5.545	5.545
2.	प्रेस कॉलोनी के अन्दर क्वार्टर के बाद 150' पी०सी०सी० पथ निर्माण	0.995	0.995	0.995
3.	घारसटोली में गली नं०-3 में मो० रहीम के घर से गौतम मुखर्जी के घर तक 350' पी०सी०सी० पथ निर्माण	2.295	2.295	2.295
4.	रिसलदार नगर डोरण्डा में इमामबाड़ा का घेराबंदी	1.50	1.50	1.50

कुल-

10.335

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-10.335 (कुल दस लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र)
विमुक्त राशि:-10.335 (कुल दस लाख तैंतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र)

नोट:- 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

Eat

उप विकास आयुक्त, रांची।

ज्ञापक-36 (ii) रांची दिनांक-25/04/10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक / कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

Asst. Commr.
उप विकास आयुक्त, रांची।
1/04/10

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश
विधायक निधि(सामान्य मद)

माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची करेंगे एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची, उप विकास आयुक्त, रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित स्वीकृत (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	देवीमंडप रोड हेस्टल में जयन्त नायक के घर से अमय साहू के घर तक 500 फीट पी०सी०सी० पथ निर्माण	3.27	3.27	3.27
2.	डोरण्डा झण्डा चौक में सामुदायिक भवन का निर्माण	4.00	4.00	4.00
3.	हरमू हाजसिंग कॉलोनी में विनोद पाण्डेय के घर के सामने 300 फीट पी०सी०सी० पथ निर्माण	1.97	1.97	1.97
4.	झखरा टांड में महेश साहू के दुकान से लोहरा टोली तक 550 फीट पी०सी०सी० पथ निर्माण	3.20	3.20	3.20

कुल:-

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-12.44 (कुल बारह लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र)
विमुक्त राशि:-12.44(कुल बारह लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र)

12.44.

नोट:- 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

Est

उप विकास आयुक्त, रांची।

ज्ञापांक-490 (ii) रांची दिनांक-12/05/10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक / कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची।

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश

विधायक निधि (जल सन्निधि मद)

माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची करेंगे एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची, उप विकास आयुक्त, रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित स्वीकृत (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)	वर्तमान में विमुक्त राशि (लाख में)
1.	क्रम सं०-2 में कार्य का नाम के स्थान पर बुद्ध बिहार कॉलोनी अशोक नगर रोड नं०-4 के सामने नाली निर्माण 650 फीट	4.00	4.00	4.00	५५-११
2.	क्रम सं०-3 में कार्य का नाम के स्थान पर गैर गोदाम गली में मुन्ना सिंह के घर तक 200 फीट नाली निर्माण	1.20	1.20	1.20	५५-११
3.	क्रम सं०-4 में कार्य का नाम के स्थान पर मुन्ना सिंह के घर से हर्षवर्द्धन सिंह के घर तक 450 फीट नाली निर्माण	3.00	3.00	3.00	५५-११
4.	क्रम सं०-7 में कार्य का नाम के स्थान पर विधानगर राज नारायण यादव के घर से मंदिर होते हुये शंकर यादव के घर तक नाली निर्माण एवं विधानगर में विनोद मास्टर के घर से विन्देश्वरी प्रसाद के घर तक नाली निर्माण	6.00	6.00	6.0	५५-११
5.	क्रम सं०-8 में कार्य के नाम के स्थान पर हरमू हाउसिंग कॉलोनी में कन्हैया लाल वकील के घर से हरमू नदी तक नाली निर्माण 100 फीट का	6.00	6.00	6.00	५५-११

कुल:-

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-20.20 (कुल बीस लाख बीस हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि:-20.20 (कुल बीस लाख बीस हजार रुपये मात्र)

- नोट:- 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

Ear

उप विकास आयुक्त, रांची।

ज्ञापांक-504/11/ रांची दिनांक-13/05/10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक / कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

०५/३/१०
उप विकास आयुक्त, रांची।

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)
विधायक मद (विशेष अंगीभूत)

माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक/प्रमर्द द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सुसर्द/विधायक/प्रमर्द की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपप्रमुख, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास प्रदाधिकारी/अंचलप्रधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्रावकलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र०वि०प०दा०/अ०प०म०दा०/ कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची / उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्रावकलित स्वीकृत (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	वार्ड नं०-38 डिवडीह के जी. ई.एल. चर्च के कब्रिस्तान में चापाकल नि०	.42	42	.42
2.	पारस टोली (उर्रौव कोचा) में श्री शाहदेव उर्रौव के घर से लेकर श्री सोमा कच्छप के घर तक 200 फीट नाली निर्माण	1.32	1.32	1.32
3.	पारस टोली (उर्रौव कोचा) में मो० फारुख के घर से मो० हारुण के घर तक 200 फीट नाली नि०	1.32	1.32	1.32
4.	बजरा के लोहा सिंह मार्ग नं०-3 में पी० शनितानंद सिंह के घर से केदार प्रसाद के घर के आगे तक 300 फीट नाली नि०	1.94	1.94	1.94
				5.00

कुल:-

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-5.00 (कुल पाँच लाख रुपये मात्र)
विमुक्त राशि:-5.00 (कुल पाँच लाख रुपये मात्र)


नोट:- 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

जापाक- 355 (U) / रांची दिनांक- 03/04/10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक / कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची।


उप विकास आयुक्त, रांची।

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)
मुख्यमंत्री विकास योजना (विशेष अंगीभूत मद)

माननीय श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव, विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सचिव/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास प्रदाधिकारी/अंचलप्रधिकारी कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्रावफलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र०वि०प०सी०/अ०प०का०/ कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-II, रांची / उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्र. सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित स्वीकृत (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1.	डी.पी.एस. स्कूल के पीछे सरना स्थल में सामुदायिक भवन का निर्माण	7.02	7.02	7.02
2.	चंदाघासी टोनको में शाहदेव कुजूर के घर से स्कूल तक 750 फीट पी.सी.सी. पथ का निर्माण	4.98	4.98	4.98

कुल:-

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-12.00 (कुल बारह लाख रुपये मात्र)
विमुक्त राशि:-12.00(कुल बारह लाख रुपये मात्र)

12.00.

नोट:- 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त, रांची।

ज्ञापक-344 / रांची दिनांक-01/04/10

प्रतिलिपि:- माननीय विधायक श्री गोपाल शरण नाथ शाहदेव/ कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०-I, रांची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची।

